जनपद बाराबंकी

दिनांक 21.04.2021

बाराबंकी के विभिन्न थानों द्वारा अभियान चलाकर कुल 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कच्ची शराब व देशी शराब बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों द्वारा अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में समस्त क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व देशी शराब बरामद किया गया।

➡ थाना कोठी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 45 बोतल अवैध देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 सफीक पुत्र मो0 हनीफ निवासी सेमरावां थाना कोठी जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 21.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 45 बोतल अवैध देशी शराब (200 मिली0) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोठी पर मु0अ0सं0 121/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

➡ थाना देवा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 145 पउवा देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दीपक शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी मोहत्सिम खां सुनगढ़ी पीलीभीत उत्तरप्रदेश को दिनांक 20.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 145 पउआ देशी शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु0अ0सं0 159/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

➡ थाना मसौली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजाबाबू पुत्र रामचन्दर निवासी भूलीगंज कस्बा व थाना मसौली जनपद बाराबंकी को दिनांक 20.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसौली पर मु0अ0सं0 82/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

➡ थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामनागेश्वर पुत्र मंशाराम निवासी बसन्तपुर घाट थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 21.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामनगर पर मु0अ0सं0 149/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।